**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3846**

**02 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए**

**मिलिटेरी इंजीनियर सर्विस के बैरक तथा स्टोर संवर्ग में संवर्ग समीक्षा और भर्ती**

**3846. श्री के.आर. अर्जुननः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलिटेरी इंजीनियर सर्विस (एम.ई.एस.) के बैरक तथा स्टोर (बी एण्ड एस) संवर्ग की पहली संवर्ग समीक्षा के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश की महानिदेशक (कार्मिक) गत तीन माह से अवज्ञा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई प्रशासनिक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विगत आठ वर्षों से बैरक और स्टोर संवर्ग के अधिकारियों की सीधी भर्ती नहीं की गई है ;

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) मौजूदा रिक्तियों को भरने की कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): जी, नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) से (च): 24 बैरक और स्टोर अफसरों की सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2013 में एक प्रस्ताव लाया गया था । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016 में उस पर किए गए प्रेक्षणों का निराकरण कर लिया गया है । इस बीच, बैरक एवं स्टोर संवर्ग की संवर्ग समीक्षा, जो पहले शुरू हुई थी, 15 दिसम्बर, 2017 को पूरी हुई जिसके बाद कई पदों का उन्नयन किया गया है और कुछ पदों को समाप्त कर दिया गया है । रिक्त पदों को भरने के पूर्व भर्ती नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी ।

\*\*\*\*\*